फर्द अहकाम

सीमा कुमारी बनाम दुर्गालाल व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 105/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4/9/17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पी.ओ. सहाब के अन्य [illegible] में व्यस्त रहने/ कन्सिल [illegible] वकीलों द्वारा न्या[illegible] करने के कार[illegible] की जा सकी। [illegible] 18/9/17 को प्रस्तुत [illegible]
	18/9/17	पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को शाम 4:00 बजे तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी है नियत है। आदेश दिनांक 14/07/17 के क्रम में साक्ष्य वादी की प्रस्तुत नहीं की गई है। एवं गत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है अतः वाद वादी अथवा प्रतिवादी अथवा पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैनल अनुक्रम चेक में नम्बर के क्रम में बाद तकमील वापिस दफ्तर हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned with CamScanner